118

संख्या–21 /14-XIX-2/89 खाद्य/2013

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

3– सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
गढवाल सम्भाग/कुमायूँ सम्भाग,
देहरादून/हल्द्वानी।

4– समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग देहरादून दिनांक 10 अप्रैल, 2014

विषयः- माह अप्रैल, 2014 से माह जून, 2014 तक अथवा राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू होन तक के लिए ए0पी0एल0 श्रेणी के परिवारो हेतु गेहूँ/चावल का तदर्थ मासिक आवंटन निर्गत करने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एव सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–1–2/2014 बी0पी0–III दिनांक 31.03.2014 के क्रम में खाद्यायुक्त के पत्र दिनांक 03.04.2014 में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के ए0पी0एल0 श्रेणी के परिवारों हेतु आंवटित तदर्थ खाद्यान्न गेहूँ/चावल का जनपदवार मासिक आवंटन **सलंग्नक**–01 में निर्धारित ब्रेकअप के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

2– भारत सरकार के आवंटन आदेश में दिये गये निर्देशानुसार माह अप्रैल, 2014 से माह जून, 2014 तक अथवा राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने तक आवंटित गेहूँ 7037 मी0टन एवं चावल 1108 मी0टन कुल 8145 मी0टन खाद्यान्न का उठान भारत सरकार के पत्र दिनांक 31.03.2014 में उल्लिखित निर्धारित तिथि में एवं शर्तों के अनुसार प्रत्येक दशा में कर लिया जाये। भारत सरकार के निर्देशानुसार माह, अप्रैल 2014 हेतु आवंटित खाद्यान्न की लागत को जमा करने तथा उठान की वैद्यता अवधि भारत सरकार के उक्त पत्र के जारी होने के 50 दिनों तक होगी तथा माह मई तथा माह जून, 2014 हेतु आवंटित खाद्यान्न की लागत को जमा करने तथा उठान की वैद्यता अवधि सामान्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मानकों के अनुसार होगी।

3– सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु आवंटित की जा रही खाद्यान्न की मात्रा केवल उसी प्रयोजन के लिये वितरित की जायेगी, जिस हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। इसका किसी अन्य उद्देश्य एवं योजना के लिये कदापि उपयोग न किया जाय तथा खाद्यान्न का उपयोगिता प्रमाण पत्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियंत्रण आदेश 2001 के अनुसार आवश्यक रूप में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः..... 2 पर

4– अतिरिक्त रूप से आवंटित गेहूँ/चावल का उठान भारतीय खाद्य निगम से किया जायेगा तथा इन योजनाओं के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम से जनपदों की मांग के अनुसार ही किया जायेगा। गेहूँ एवं चावल के उठान के सम्बन्ध में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग, हल्द्वानी, खाद्यान्न के उठान की परिवहन व्यवस्था इस प्रकार करेंगे कि परिवहन ढुलान में कम से कम व्यय हो।

5– उक्त आवंटित खाद्यान्न का किसी भी दशा में प्रचार न किया जाए।

6– उपर्युक्त आवंटन के सम्बन्ध में यदि भारत सरकार द्वारा कोई अन्य निर्देश प्राप्त होंगे तो तद्नुसार यथासमय इस शासनादेश में उक्त सीमा तक संशोधन किया जायेगा।

सलंग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रविनाथ रामन),
अपर सचिव।

संख्या– 11 /14-XIX-2/89 खाद्य/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
2– अवर सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–1–2/2014 बी0पी0-III दिनांक 31-03.2014 के सन्दर्भ में।
3– वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– वरिष्ठ सम्भागीय वित्त अधिकारी, खाद्य, गढ़वाल सम्भाग, देहरादून/कुमॉयू सम्भाग, हल्द्वानी।
6– अपर सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड के अवलोकनार्थ ।
7– निजी सचिव, खाद्य मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9– समन्वयक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र भट्ट),
उप सचिव।